13/4/21

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष हाजिर। वकील उभय पक्ष बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम बल्ला की भागल में आ० नं० 45 व 48 अप्रार्थी सं. के नाम दर्ज अंकित है। उक्त भूमि सुलतानसिंह पिता देवीसिंह राजपूत के नाम पूर्व में दर्ज रेकर्ड थी। सुलतानसिंह लाओलाद फौत हो गये थे। सुलतानसिंह प्रार्थी के परिवार के साथ रहते थे और प्रार्थी ने ही इनकी सेवा-चाकरी की थी। प्रार्थी की सेवा-चाकरी से खुश होकर सुलतानसिंह ने दिनांक 26.4.04 को अपनी भूमि का वसीयतनामा प्रार्थी के पक्ष में लिख दिया था। मृतक भोले स्वभाव था। जिसे बहला फुसला कर मानसिंह व शुम्भूसिंह जो मृतक के सगे भतीजे थे ने उक्त वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थी सं.1 के नाम फर्जी बेचान कर दिनांक 13.8.03 को पंजीयन करा दिया। अतः यह बेचान विधि विरुद्ध था। पंजीयन के बदले वादग्रस्त आराजियात का कोई प्रतिफल भी मृतक सुलतानसिंह को नहीं मिला विगत 40 वर्षों से वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः दिनांक 13.8.03 को जो फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज की है वो काबिले खारिज है। उक्त फर्जी दस्तावेज को प्रभाव शून्य घोषित फरमाया जावे। अतः [illegible] के विरुद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजियात से प्रार्थी को अप्रार्थीगण बेदखल ना करे। प्रार्थी द्वारा बोई गई फसल को नष्ट ना करे ना ही ऐसा किसी अन्य से करावें। अप्रार्थी सं. 3 वादग्रस्त आराजियात के किसी भी प्रकार के दस्तावेजों का पंजीयन ना करे तथा रेवेन्यु रेकर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करे। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी सं. 1 जमीन का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.5.04 को वसीयत उसके नाम निष्पादित करने की बात भी गलत अंकित की है एवं यदि लिखा भी हो तो अप्रार्थी सं. 1 के मुकाबले प्रभावहीन व शून्य है। मृतक सुलतानसिंह समझदार व्यक्ति थे जिन्होंने अप्रार्थी को दिनांक 19.8.03 को भूमि का विक्रय कर कब्जा संभला दिया था, तब से ही अप्रार्थी सं. 1 का ही कब्जा-काश्त है। यदि दस्तावेज फर्जी होता तो प्रार्थी पुलिस में शिकायत करता जो उसने नहीं की। अप्रार्थी की रेकर्ड खातेदारी भूमि में प्रार्थी किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पंजीकृत दस्तावेज को शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। प्रार्थी ने बहकावे व लोभ लालच में आकर झूठा दावा किया है तथा प्रार्थी का मृतक सुलतानसिंह के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं था। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया व वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी रेकर्ड खातेदार नहीं है। प्रार्थी द्वारा निष्पादित वसीयतनामा भी वादग्रस्त आराजियात के विक्रय दिनांक 19.8.03 के बाद निष्पादित होने से प्रभावहीन व शून्य है। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में [illegible] होती है। अतः वकील उभय [illegible] दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा- 21[illegible] अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.04.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner